UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Geography
Research Link - 169, Vol - XVII (2), April - 2018, Page No. 76-77
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

पर्यावरण प्रदूषण का जलवायु पर प्रभाव : एक सूक्ष्मस्तरीय भौगोलिक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में पर्यावरण प्रदूषण का जलवायु पर प्रभाव का सूक्ष्मस्तरीय भौगोलिक अध्ययन किया गया है। जलवायु परिवर्तन से पारिस्थितिकी के समस्त घटकों मानव, पशु-पक्षी, वनस्पति अर्थात् जैव विविधता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए समय रहते सावधान होने की आवश्यकता है और इस समस्या का निदान पर्यावरणीय शिक्षा, जागरुकता, जनचेतना के माध्यम से ही संभाव है, अर्थात् जैव-विविधता एक ऐसा संसाधन है, जिसे फिर से बनाया नहीं जा सकता, इसका विलुप्तीकरण हमेशा के लिए हो जाता है। आज ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, जिससे लुप्त हुए पौधों और जंतुओं को फिर से उत्पन्न किया जा सके। साथ ही शोधपत्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस समस्या को उत्पन्न होने के वास्तविक कारण क्या-क्या हैं और सके संरक्षण के लिए क्या-क्या होना चाहिए। प्रस्तुत शोधपत्र मानवीय हित में धनात्मक प्रयास है।

डॉ.नीलेश कुमार सखवार

प्रकृति में हस्तक्षेप एवं मानवीय उच्च तकनीक एवं कौशल विकास के कारण मानव ने जो प्रकृति के प्रति जो अतिशोषण तथा नृशंसता का व्यवहार किया है। और उसका दुष्परिणाम जलवायु परिर्वतन की अनेक समस्याओं के रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे– ग्रीन हाउस प्रभाव (ओजोन परत का क्षयीकरण) एवं वनों की प्रतिशतता में कमी के कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक स्तर में तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेसियर पिघलने से समुन्द्र के जल स्तर में वृद्धि अर्थात् समुन्द्र तटीय क्षेत्रों में बाढ़, कटाव एवं आर्द्रभूमि की कमी का खतरा, भूगर्भ जल संतुलन का भंग होना, ग्रीष्म ऋतु की अवधि में वृद्धि एवं जाड़े की ऋतु की अवधि में कमी अर्थात शीत एवं ताप लहर का प्रकोप, फसलों का शीघ्रता से पकना, अनाच्छादन, मरूस्थलीकरण एवं वीहड़ों का विस्तार, तालाव–झील, मौसमी नदियों के जल में वृद्धि या कमी की समस्या अर्थात बाढ़–सूखे की समस्या, इनके अलावा भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, आदि पर्यावरणी ह्रास कई रूपों में देखा जा रहा है।

उपरोक्त विविध प्रकार की जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव सम्पूर्ण वातावरण के साथ–साथ जैव जगत की सम्पूर्ण जैव विविधता पर जैसे कीट–पंतगों, जीव–जंतु, वनस्पति–प्राणियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। इन उपरोक्त वर्णित समस्याओं के कारण वर्तमान समय में जीव–जंतु, वनस्पति–प्राणियों में विविध प्रकार रोगों की उत्पत्ति होने के कारण उनके स्थास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण उनका विकास एवं जीवन चक्र में कमी अर्थात् बाधित हो रहा है। जिसके कारण जीवधारियों सहित वनस्पतियों की अनेक किस्में विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से ग्रसित होकर शनैः–शनैः विलुप्त होती जा रही हैं, अर्थात् खास तरह के मौसम में रहने वाले पेड़ और जीव–जन्तुओं के विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है और यदि इस विश्व जनित समस्या का शीघ्रता से रोकने (संरक्षण) के प्रयास नहीं किए गए, तो भविष्य में इसके गंभीर विनाशकारी दूरगामी परिणाम सामने आयेगें, क्योंकि जैव–विविधता एक ऐसा संसाधन है, जिसे फिर से बनाया नहीं जा सकता, इसका विलुप्तीकरण हमेशा के लिए हो जाता है। आज ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, जिससे लुप्त हुए पौधों और जन्तुओं को फिर से उत्पन्न किया जा सके।

उपरोक्त समस्याएँ उत्पन्न होने के कारक :

(1) तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं आवासों का अनियोजित ढंग से विकास।

(2) वनों की प्रतिशतता में कमी।

(3) भौतिकवादी संस्कृति की प्रधानता की तीव्रगति से विकास।

(4) जीवाश्म ईधनों का अंधाधुध उपयोग एवं ज्वालामुखी विस्फोट क्रिया जलवायु परिवर्तन का प्रमुख प्राकृतिक कारक माना जाता है।

(5) स्थानीय प्रशासन की उदासीनता एवं जनजागरूकता की कमी एवं मानव की लालची प्रवृति।

उपरोक्त वर्णित इन समस्याओं से मुक्ति पाना है, तो इस पूरी सभ्यता की बुनियादी दिशा पर पुनर्विचार करना होगा, अर्थात् आज जलवायु परिवर्तन तथा पृथ्वी पर उपजे इस संकट का समाधान खोजा जाना नितांत आवश्यक है, जो बहुत दुरूह नहीं है? आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न देश और उनमें

अतिथि विद्वान (भूगोल विभाग), शासकीय कन्या (अग्रणी) महाविद्यालय, मुरैना (मध्यप्रदेश)

निर्वासित मनुष्य अपने दृष्टिकोण को बदलें, साथ ही समस्त प्राणियों को जाग्रत होकर पर्यावरण संरक्षण हेतु दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए, नहीं तो यह धरा (पृथ्वी) प्राणी विहीन हो जाए, इसमें संदेह की गुजांइश नहीं दिखती।

उद्देश्य :

मेरा यह शोध पत्र ''पर्यावरण प्रदूषण का जलवायु पर प्रभाव'' को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अर्थात् जीव–जंतु, वनस्पति–मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन कर नियंत्रण हेतु आवश्यक सुझाव एवं प्रबंधन की रूपरेखा निर्मित कराना ही इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान समय में यह गंभीरतम समस्या मानव स्वास्थ्य एवं विकास के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। इसलिए इस समस्या समाधान के लिए निम्नलिखित एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :

(1) विविध प्रकारीय प्रदूषण से मानव, जीव–जन्तु एवं वनस्पति के जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन।

(2) मानव स्वास्थ्य रक्षक सेवाओं एवं सरकारी नीतियों का सूक्ष्म अध्ययन।

(3) समस्या के नियंत्रण के उपाय खोजने का प्रयास करना।

(4) ''विकास ऐसा हो जो आफत न बन जाए, विकास ऐसा हो जो आफत से बचाये'' इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान समय में वातावरणीय स्तर गिरने के क्या–क्या कारण एवं प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं और इसके निदानात्मक उपाय क्या–क्या होना चाहिए।

संरक्षण (रोकथाम) के सुझाव :

(1) जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर गर्मी कार्बन डाई ऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होने से होती है। पृथ्वी (धरा) की इस गर्मी को कम करने के लिए मनुश्य द्वारा अधिकाधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए।

(2) बढ़ती हुई आबादी पर्यावरण प्रदूषण में सहायक होती है। अतः इस पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए।

(3) विविध प्रकार के प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी एवं दण्ड का प्रावधान, एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग को उद्योगों, वाहनों, जहरीली गैसों, धूलकण फैलाने वालों के प्रति प्रावधान कड़े करने होंगे।

(4) प्रदूषण से जीव–जन्तुओं, वनस्पतियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर निराकरण के प्रयास खोजे जाना चाहिए।

(5) गाँव, प्रदेश, देश की सीमा होती है, किन्तु पर्यावरण की कोई सीमा नहीं होती। अतः पर्यावरण के सुझाव के लिए सभी लोगों का सहयोग, भागीदारी एवं जागरूकता आवश्यक है।

(6) जैविक ईंधन सौर ऊर्जा (सोलर पावर), पवन ऊर्जा, एल.पी.जी. गैस, गोबर गैस का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा आम नागरिकों तक उसे सस्ता सुलभ कराने की व्यवस्था, केन्द्र व राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए।

(7) उन प्रजातियों के संरक्षण का प्रयास होना चाहिए, जो कि संकटग्रस्त हैं।

(8) उन आवासों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, जहाँ प्रजातियाँ भोजन, प्रजनन तथा बच्चों का पालन पोषण करती है।

(9) ऐसी प्रभावी नीतियाँ अपनाई जाए, जिससे ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम किया जा सके। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आने से वायु प्रदूषण कम होगा जिससे समस्त जीव जगत को तत्काल लाभ मिलेगा।

पर्यावरण की महत्ता, उपयोगिता तथा जागरूकता को शिक्षा के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाना चाहिए तथा प्रत्येक गली एवं प्रत्येक परिवार तक इस संदेश को पहुँचाना चाहिए– ''हमारी प्रकृति स्वस्थ्य हमारी संतान स्वस्थ्य''।

निष्कर्ष :

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन की समस्या सम्पूर्ण धरा के साथ–साथ सम्पूर्ण वातावरण में तेजी से बढ़ती जा रही है। सामान्यतः यह समस्या आधुनिक समृद्ध समाज की देन है और यह समस्या किसी एक क्षेत्र, प्रदेश की नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की एक ज्वलंत समस्या बनकर उभर रही है। इस समस्या के निदान के लिए सम्पूर्ण मानव जाति को आगे लोने का प्रयास शिक्षाविद्ों, भूगोलविदों, पर्यावरणविदों, समाजसेवी संगठनों द्वारा किया जाना चाहिए। इस हेतु पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता एवं जनचेतना एक उचित माध्यम हो सकता है।

अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आज जलवायु परिवर्तन का कुप्रभाव सम्पूर्ण जैव विविधता पर पड़ रहा है, जिसके कारण जीवधारियों सहित वनस्पतियों की अनेक किस्में, विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से ग्रसित होकर शनैः–शनैः विलुप्त होती जा रही है। साथ ही साथ वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है, जो मानव जीवन के लिए नही बल्कि प्रत्येक जीव के लिए घातक है। अतः हम सभी का यह कर्तव्य बन जाता है कि वातावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि सभी को ऑक्सीजन मिल सके और कार्बन डाई ऑक्साइड के होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सके।

सन्दर्भ :

(1) अवस्थी, नरेन्द्र मोहन एवं तिवारी : पर्यावरण भूगोल, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

***(2)** वर्मा, प्रो. धनंजय एवं भट्ट, डॉ. पुरूषोत्तम व चक्रवती : पर्यावरण भूगोल, म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।*

***(3)** चर्मण्वती, भूगोल शोध पत्रिका, पी.जी. महाविद्यालय, अम्बाह (म.प्र.) सन् 2012.*

***(4)** 'समिधा', वार्षिक पत्रिका सन् 2010–2011, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)।*

❁❁

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Geography
Research Link - 169, Vol - XVII (2), April - 2018, Page No. 78-80
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की भूमिका (देवास जिले की कन्नौद तहसील के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की भूमिका का अध्ययन, देवास जिले की कन्नौद तहसील के विशेष संदर्भ में किया गया है। अध्ययन हेतु मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। जल ग्रहण प्रबंधन संबंधी द्वितीयक आंकड़े जिला पंचायत देवास से प्राप्त किए गए हैं। कन्नौद तहसील में कुल 229 गाँव सम्मिलित हैं। तहसील के अंतर्गत वर्तमान में 11 मिली वाटरशेड के अंतर्गत कुल 27 माइक्रो वाटरशेड/गाँव में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का कार्य विभिन्न समायावधि में पूर्ण हो चुका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों ने विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की जीविकोपार्जन का एक नवीन, मजबूत और भरोसेमंद आधार प्रदान किया है और इस आधार ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आमूल परिवर्तन किए हैं। साथ ही महिलाओं में जागृति लाने, सशक्तिकरण और ऋण ग्रस्तता से मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य में इन स्वयं सहायता समूहों ने निश्चित ही सफलता प्राप्त की है।

डॉ.मोहम्मद अमित कुरैशी

प्रस्तावना :

राष्ट्रीय स्तर पर इस अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राजीव गाँधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है, वर्तमान में यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना के नाम से सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही आवश्यक है, जितनी पुरुषों की, अतः इस परियोजना के प्रत्येक चरण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है एवं उन्हें सशक्त एव आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है।

इस तरह की महिला उत्थान एवं सशक्तिकरण की गतिविधियों में कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार है :

(1) महिलाओं में बचत करने की आदत डालना।

(2) महिलाओं में यह आत्मविश्वास पैदा करना कि उनमें रचनात्मक कार्य करने की क्षमता है तथा वे स्वावलंबी अपने आप बन सकती है।

(3) महिला समूह को आर्थिक रुप से सक्षम बनाना जिससे वह समूह की अन्य जरूरतमंद महिलाओं को समय पर ऋण दे सकें।

(4) महिलाओं के नेतृत्व में वाटरशेड विकास कार्यों से होने वाले लाभ से फायदा उठाने की संभावना का पता लगाना।

(5) महिलाओं के मन मे यह विश्वास उत्पन्न करना कि वाटरशेड विकास के कार्यों से उनका भी फायदा है व इसमें उन्हें भी योगदान देना चाहिए।

(6) अन्य स्वैच्छिक संगठनों, ग्रामीण संगठनों एवं अन्य महिला समूहों के साथ विभिन्न गतिविधियों एवं अनुभवों का आदान–प्रदान तथा अन्य कार्यो मे भागीदारी।

(7) समूह के अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ अंतर संबंध बढ़ाना व सम्पर्क स्थापित करना।

अपने कई उद्देश्यों को लेकर यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इन्हीं उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्य चुनकर यह शोध कार्य किया गया है।

सामुदायिक संगठन एवं सहभागिता :

इसके अन्तर्गत मुख्य रुप से नशाबंदी, नसबंदी, चराईबंदी, कुल्हाडबंदी, श्रमदान आधारित गतिविधियाँ, स्वयं सहायता समूह का गठन, पानी परिवार का गठन, पानी पंचायत का गठन, स्वावलंबन दलों का गठन आदि कार्य सम्मिलित हैं।

महिला बचत समूह/स्वयं सहायता समूह :

जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत जल संग्रहण विकास दल की सहायता से भूमिहीन/सम्पत्तिहीन गरीबों, कृषि श्रमिकों, महिलाओं, चरवाहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा इस प्रकार के अन्य लोगों में से स्व–सहायता समूह गठित करेगी, साथ ही आर्थिक रुप से एक समान महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए पृथक रुप से स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे।

शोधार्थी, भूगोल विभाग

जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत स्थापित स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं में जाग्रति लाने, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीणों की ऋण ग्रस्तता से मुक्ति के उद्देश्य से कार्य करेगा, साथ ही महिला बचत समूहों की बचत के आर्थिक सहयोग से ग्रामीण महिलाओं के अतिरिक्त अन्य गरीब ग्रामीणों को भी अत्यन्त ही कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें साहूकारों से अधिक ब्याज दर पर ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी एवं ग्रामीणों को बीज, खाद, किटनाशक दवाइयाँ, कृषि औजार, बैल, मोटर पम्प आदि साधन खरीदने के लिए अति आवश्यक राशि इन महिला बचत समूहों द्वारा आसानी से उपलब्ध हो पाएगी।

प्रस्तुत अध्ययन निम्न उद्देश्यों को लेकर किया जा रहा है:

(1) परियोजना क्रियान्वयन के दौरान महिलाओं में बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन का अध्ययन।

(2) महिलाओं में स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर होने की स्थिति का अध्ययन।

अध्ययन क्षेत्र :

अध्ययन क्षेत्र कन्नोद तहसील देवास जिले की एक महत्वपूर्ण तहसील है, जो देवास जिले के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इसका विस्तार 22'28'' उत्तरी अंक्षाश से 22'66'' उत्तरी अंक्षाश तक एवं 76'45'' पूर्वी देशान्तर से 77'10'' पूर्वी देशान्तर तक स्थित है। कन्नोद समुन्द्र सतह से 578 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 982 मि.मी. है। तहसील में मुख्यतः काली एवं भूरी पथरीली मिट्टी पाई जाती है। कन्नौद तहसील का कुल क्षेत्रफल 167336 वर्ग कि.मी. है। तहसील की कुल जनसंख्या 2011 की गणना के अनुसार 258476 है। जनसंख्या का धनत्व 223 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

शोध विधि :

अध्ययन हेतु मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकडों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े अध्ययन क्षेत्र में जाकर एकत्र किए गए हैं। जल ग्रहण प्रबंधन संबंधी द्वितीयक आंकड़े जिला पंचायत देवास से प्राप्त किए गए हैं। प्राथमिक आंकडों को तालिका के रुप में प्रस्तुतीकरण कर विश्लेषण किया गया है।

कन्नौद तहसील में कुल 229 गाँव सम्मिलित हैं। तहसील के अन्तर्गत वर्तमान में 11 मिली वाटरशेड के अंतर्गत कुल 27 माइक्रो वाटरशेड/गाँव में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का कार्य विभिन्न समयावधि में पूर्ण हो चुका है।

इन 27 माइक्रो वाटरशेड/गाँव में 51 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। इन्हीं 27 गाँवों में से यादृच्छिक विधि के द्वारा 75 प्रतिशत गाँवों अर्थात् 21 गाँवों का सर्वेक्षण कर प्राथमिक जानकारी एकत्र की गई है। सर्वेक्षित 21 गाँवों के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव में गठित स्वयं सहायता समूह में से 15 महिला हितग्रहियों का चयन कर जानकारी एकत्र कर समीक्षा की गई।

तालिका क्रमांक 1 : तहसील कन्नौद – आधारभूत जानकारी

क्रं.	मिली वाटरशेड का नाम	माइक्रो वाटरशेड का नाम	सम्मिलित गाँवों की संख्या	गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या
1	धुरिया पठार – ए	जागठा, किटीया, कुसमानिया, अड्डानिया	3	5
2	धुरिया पठार – बी	देवसिराल्या	2	2
3	पानपाट	बाईजगवाडा, झिरनिया, नारानपुरा, पानपाट टिपरास	5	8
4	गोदना – ए	भायली, निमलाय	2	4
5	गोदना – बी	बैरागढ, चौरवा, गोदना, सिंगोडी	4	9
6	जबलपुर – ए	जबलपुर, कानरा, अ.ब.	2	3
7	जबलपुर – बी	ठकलेरा	1	2
8	कलवार – ए	देवली, कलवार	2	5
9	कलवार – बी	भवाना, मालजीपुरा	2	4
10	किलोदा	बुरुट, किलोदा	2	4
11	कलवार – सी	डोकाकुई, गुडबैल	2	4
योग– 11 मिली वाटरशेड		**27 गाँव/ माइक्रो वाटरशेड**		**51**

तालिका क्रमांक 2 : महिलाओं में बचत करने की प्रवृत्ति की स्थिति

क्रं.	सर्वेक्षित हितग्राही महिला सदस्यों की संख्या	महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति बढ़ी है	महिलाओं में बचत को लेकर कोई बदलाव नहीं आया है
1	27	21	6
2	18	15	3
3	36	32	4
4	24	19	5
5	54	49	5
6	18	16	2
7	14	11	3
8	30	28	2
9	24	21	3
10	18	18	0
11	24	22	2
योग	**287**	**252**	**35**

तालिका क्रमांक 2 के अनुसार, औसत रुप से 73 प्रतिशत हितग्राही महिलाओं का कथन है कि जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के गठन के पश्चात् उनकी बचत करने की प्रवृत्ति या आदत बढ़ी है एवं वे बचत को लेकर अधिक जागरूक भी हुई हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह के गठन के पश्चात् महिलाओं को विभिन्न स्वरोजगार के अवसर एवं रोजगार स्थापित करने के लिए न्यूनतम ब्याज पर आर्थिक सहयोग भी शीघ्र एवं सुलभता से प्राप्त होने लगा है, जिस कारण ग्रामीण महिलाओं का एवं उनके परिवार का सामाजिक, आर्थिक विकास होकर जीवन स्तर भी सुधरा है।

तालिका क्रमांक 3 के अनुसार, औसत रुप से 65 प्रतिशत (64.86.%) हितग्राही महिलाओं का मत है कि जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत स्थापित स्वयं सहायता समूह के गठन के पश्चात् उनकी बचत में वृद्धि के कारण एवं स्वयं सहायता

तालिका क्रमांक 3 : महिलाओं में आत्मनिर्भर होने की स्थिति

क्रं.	सर्वेक्षित हितग्राही महिला सदस्यों की संख्या	महिलाओं में आत्मनिर्भरता की स्थिति में वृद्धि हुई है	महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है
1	27	18	9
2	18	13	5
3	36	28	8
4	24	17	7
5	54	45	9
6	18	15	3
7	14	9	5
8	30	26	4
9	24	19	5
10	18	15	3
11	24	21	3
योग	287	226	61

समूह के आर्थिक सहयोग के द्वारा कई महिलाओं ने अपना स्वयं का लघु उद्योग स्थापित कर अच्छी आय प्राप्त कर आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त की है। इन स्थापित लघु उद्योगों में मुख्यतः टोकरी निर्माण उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, पापड़, चिप्स उद्योग, अचार उद्योग, आवला सुपारी उद्योग, दूध व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि कई तरह के छोटे उद्योग स्थानीय स्तर पर स्थापित कर ग्रामीण महिलाओं द्वारा अच्छा लाभ अर्जित किया जा रहा है। लघु उद्योगों एवं रोजगार के अन्य साधनों की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र की महिलाओं एवं अन्य ग्रामीणों को जीवीकोपार्जन हेतु कृषि एवं मजदूरी पर निर्भरता भी कम हो गई है। साथ ही वे महिलाएँ जिनका स्वयं का कोई लघु उद्योग या व्यवसाय स्थापित हो चुका है, वे अन्य जरुरतमंद महिलाओं एवं ग्रामीणों को रोजगार हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान करने लगी है।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष रुप से कहा जा सकता है, की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों ने विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की जीवीकोपार्जन का एक नवीन, मजबूत एवं भरोसेमंद आधार प्रदान किया है और इस आधार ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आमूल परिवर्तन किए हैं। साथ ही महिलाओं में जागृति लाने, सशक्तिकरण और ऋण ग्रस्तता से मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य में इन स्वयं सहायता समूहों ने निश्चित ही सफलता प्राप्त की है।

संदर्भ :

(1) कुमार, प्रमिला (1983) : ''म.प्र. का भौगोलिक अध्ययन'', म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

(2) मार्गदर्शिका पुस्तिका, वर्ष 2005, 2010 राजीव गाँधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विध्याचंल भवन, भोपाल (म.प्र.)।

(3) जिला सांख्यिकी कार्यालय एवं भू अभिलेख कार्यालय देवास (म.प्र.), वर्ष (2011)।

(4) जिला जनपद पंचायत कार्यालय (म.प्र.)।

UGC -
APPROVED - JOURNAL

UGC Journal Details

Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science

Print

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

(1) शोध-पत्र **1500-1700 शब्दों से अधिक नहीं** होना चाहिए।

(2) **हिन्दी एवं मराठी माध्यम के शोधपत्रों को कृतिदेव 10** (Kruti Dev 010) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।

(3) **पंजाबी माध्यम के शोधपत्रों को अनमोल लिपि** (AnmolLipi) या **अमृत बोली** (Amritboli) या **जॉय** (Joy) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।

(4) अंग्रेजी माध्यम के शोधपत्र टाईम्स न्यू रोमन (Times New Roman), एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' या 'माइक्रोसाफ्ट वर्ड' में भेजे जा सकते हैं।

(4) शोधपत्र की विधि - (1) शीर्षक (2) एबस्ट्रेक्ट (3) की-वर्ड्स (5) प्रस्तावना/प्रवेश (5) उद्देश्य (6) शोध परिकल्पना (7) शोध प्रविधि एवं क्षेत्र (8) सांख्यिकीय तकनीक (9) विवेचन या विश्लेषण (10) सुझाव (11) निष्कर्ष एवं (12) संदर्भ ग्रंथ सूची।

(6) संदर्भ ग्रंथ सूची इस प्रकार दें -

For Books :

(1) Name of Writer, "Name of Book", Publication, Place of Publication, Year of Publication, Page Number/numbers.

For Journals :

(2) Name of Writer, "Title of Article", Name of Journal, Volume ....., Issue ....., Page Numbers.

Web references :

http://utc.iath.virginia.edu/interpret/exhibits/hill/hill.html

(7) **गुजराती माध्यम** के शोधपत्र **हरेकृष्णा (Harekrishna), टेराफोंट वरुण (Terafont Varun), टेराफोंट आकाश (Terafont Aaksah)** में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजे जा सकते हैं।

(8) शोधपत्र की साफ्टकॉपी रिसर्च लिंक के ई-मेल आईडी researchlink@yahoo.co.in पर भेजने के बाद हॉर्डकॉपी, शोधपत्र के मौलिक होने के घोषणा पत्र के साथ हस्ताक्षर कर 'रिसर्च लिंक' के कार्यालय को प्रेषित करें।

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Geography
Research Link - 169, Vol - XVII (2), April - 2018, Page No. 81-83
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

इन्दौर जिले के ग्रामीण बाजार केन्द्रों के आदर्श प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में इन्दौर जिले के ग्रामीण बाजार केन्द्रों के आदर्श प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन किया गया है। बाजार प्रभाव प्रदेश उस कर्मोपलक्षी क्षेत्र को कहते हैं, जिसकी अधिवासित जनसंख्या किसी विशिष्ट विपणन केन्द्र से अपनी पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बाजार प्रभाव क्षेत्र किसी भी विपणन केन्द्र के शरीर के समान होता है तथा विपणन केन्द्र उसकी आत्मा है। कोई भी विपणन केन्द्र का अस्तित्व उसके प्रभाव क्षेत्र के बिना सम्भव नहीं हो सकता। भारत ग्रामीण समुदाओं की भूमि रहा है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण चरित्र की प्रमुखता यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या से प्रतिबिंबित होती है। नब्बे के दशक से ग्रामीण क्षेत्रों एवं यहाँ के विपणन केन्द्रों की छवि में बहुत द्रूत गति परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए है। ग्रामीण विपणन केन्द्र गाँवों के बाजार है, जो ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीणों द्वारा संपन्न किये जाते हैं। इस प्रकार ग्रामीण विपणन केन्द्र अथवा बाजार स्थल, ग्रामीण भागों में व्यापार केन्द्र बिन्दु होते हैं, जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान-प्रदान किया जाता है।

डॉ.श्रीकांत संकत

प्रस्तावना :

सामान्यतः बाजार प्रभाव क्षेत्र के लिए पूरक प्रदेश, व्यापार क्षेत्र, सेवा क्षेत्र पृष्ठ प्रदेश तथा अधिकार क्षेत्र इत्यादि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। श्रीवास्तव तथा विश्वनाथ के अनुसार, ''बाजार का प्रभाव क्षेत्र वह केन्द्राधारित क्षेत्र होता है, जहाँ क्रेता एवं विक्रेता वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय हेतु आते हैं।''

सामान्यतया किसी केन्द्र स्थल के प्रभाव के लिये सेवा क्षेत्र, पूरक प्रदेश, व्यापार क्षेत्र आदि समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किन्तु यह सभी शब्द स्वयं में दूसरे शब्दों से भिन्न अर्थ रखते हैं। उदाहरण के लिए सेवा क्षेत्र किसी सेवा विशेष का क्षेत्र होता है, पृष्ठ प्रदेश का प्रयोग बंदरगाह के प्रभाव क्षेत्र से विशिष्टतया संबंधित है। जबकि बाजार केन्द्र वस्तुओं एवं सेवाओं दोनो की आपूर्ति करता है। बाजार मात्र आर्थिक क्रियाओं का समूहन नहीं है, वरन् इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक क्रिया–कलाप भी संपन्न होते हैं।

बाजार प्रभाव मानव प्रवृतियों से संबद्ध रखता है तथा मानवीय प्रवृतियों द्वारा प्रदत्त स्थानीय सीमाएँ कितनी स्थिर रह सकती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। मनुष्य अपना निर्णय लेने मे स्वतंत्र होता है। साथ ही वह निर्णय की प्रक्रिया में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रतिबंधों से प्रभावित भी होता है, साथ ही उसकी अपनी मनोवैज्ञानिक समझ भी होती है। इन सब कारकों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता व्यवहार की स्थानीय सीमाएँ निर्धारित करना एक जटिल प्रक्रिया होती है। अतः क्रेता–विक्रेताओं का समुच्चयित व्यवहार प्रतिरूप के माध्यम से स्थानिक सीमांकन का प्रयास किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य :

(1) इन्दौर जिले के स्थायी ग्रामीण बाजार केन्द्रों का निर्धारण करना।

(2) ग्रामीण बाजार केन्द्रों के पृथक्–पृथक् आदर्श प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण करना।

(3) सम्रग ग्रामीण बाजार केन्द्रों के औसत आदर्श प्रभाव क्षेत्र का आंकलन कर तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना।

शोध प्रविधि :

अध्ययन क्षेत्र इन्दौर जिले के ग्रामीण बाजार केन्द्रों के आदर्श सेवा क्षेत्र का सीमांकन कार्य हुए वी.एल. प्रकाशराव द्वारा प्रयुक्त किसी भी नगर के प्रभाव की तीव्रता को नापने के लिए प्रतिपादित सूत्र का प्रयोग किया गया है। परन्तु यहाँ इस सूत्र का प्रयोग ग्रामीण सेवा केन्द्र के संदर्भ में किया जा रहा है :

$$D = \frac{T \times A}{U}$$

D= बस्ती के प्रभाव क्षेत्र।

A= अध्ययन क्षेत्र का क्षेत्रफल।

T = सेवा केन्द्र की जनसख्या।

U = सभी सेवा केन्द्रों की कुल जनसंख्या।

शोध क्षेत्र :

इन्दौर आयुक्त संभाग का इन्दौर जिला मालवा के मध्य में स्थित है। इस छोटे से जिलें की सीमाएँ $22^0 20'$ उत्तर से $23^0 05'$ उत्तर अक्षांश और $75^0 25'$ पूर्व से $76^0 15'$ पूर्व देशांतर तक विस्तृत है। यह उत्तर में उज्जैन जिले से, दक्षिण में खरगौन (पश्चिमी निमाड) जिल से, पूर्व में देवास जिले से और पश्चिम में धार जिले से घिरा हुआ है।

म.नं.126, आनन्द नगर कॉलोनी, गवली पलासिया, महू, जिला-इन्दौर (मध्यप्रदेश)

इन्दौर जिले की सीमाएँ, तीन ओर से प्राकृतिक सीमाएँ हैं, यथा पूर्व में शिप्रा नदी, पश्चिम में चबंल नदी तथा दक्षिण में करम और चोरल नदिया जो दक्षिण में नर्मदा नदी में मिलती है। उत्तरी सीमा लगभग कृत्रिम है।

सम्पूर्ण इन्दौर जिला मालवा के पठार पर स्थित है, जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3898 वर्ग किलोमीटर है। यह सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.27 प्रतिशत है, जिसके दक्षिण में विन्ध्य पर्वत के कगार है। जिले की सामान्य ऊँचाई लगभग 548.64 मीटर है। हिन्दू पूराणों मे विन्ध्य पर्वत श्रेणी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस पर्वत श्रेणी का प्रमुख खण्ड, जो मालवा पठार का एकदम अंतिम छोर है, औसत, समुद्र तल से 579.2 मीटर ऊँचा है तथा जिले मे पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। जिले का अधिकांश भाग विन्ध्य पहाड़ियों की श्रृंखला के उत्तर में विस्तृत ऊबड–खाबड़ पठारी है। पठार की ऊँचाई 487.7 से 597.1 मीटर के बीच है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन्दौर जिले की कुल जनसंख्या 32,76,697 है, जो मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का 4. 51 प्रतिशत है। इन्दौर जिले की जनसंख्या का 25.9 प्रतिशत ग्रामीण

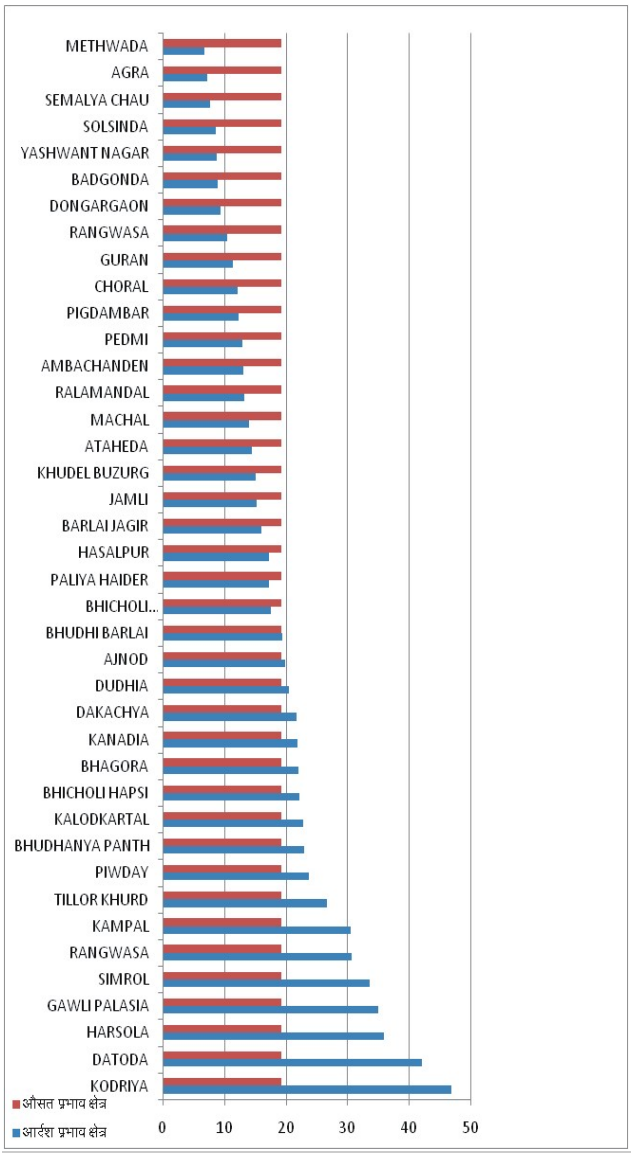

तालिका क्रमांक 1 : इन्दौर जिले के ग्रामीण सेवा केन्द्रों के निर्धारण हेतु प्रयुक्त केन्द्रीय प्रकार्य

क्र	सेवा समूह	चयनित सेवाएँ
1	शैक्षणिक सेवाएँ	प्राथमिक विद्यालय
2		माध्यमिक विद्यालय
3		सेकेण्ड्री / मैट्रिक स्कूल
4		हायर सेकेन्डी स्कूल
5		शासकीय महाविद्यालय
6	स्वास्थय सेवाएँ	ऐलोपेथिक हास्पिटल
7		ऐलोपेथिक डिस्पेन्सरी
8		मातृ एवं बाल कल्याण केन्द्र
9		स्वास्थ्य केन्द्र
10		निजी डॉक्टरी
11		उप–स्वास्थ्य केन्द्र
12	परिवहन सेवाएँ	पोस्ट आफिस
13		बस स्टेंड
14		रेल्वे स्टेशन
15		समाचार पत्र / पत्रिकाएँ
16		ग्राम पंचायत कार्यलय
17	व्यापार एवं वाणिज्यिक सेवाएँ	कमर्शियल बैंक
18		को–आपरेटिव बैंक
19		कृषि साख संस्थाएँ
20		गैर–कृषि साख संस्थाएँ
21		भण्डार गृह
22		शीतगृह
23		ईधन पम्प
24		साझा सेवा केन्द्र
25		कृषि सेवा केन्द्र
26		चौपाल सागर

तथा 74 प्रतिशत भाग नगरीय क्षेत्रों मे निवास करता है। प्रशासकीय दृष्टिकोण से इंदौर जिले को चार तहसीलों में विभक्त किया गया है, जिनमें क्रमशः देपालपुर, इन्दौर, महू एवं सॉवेर तहसील सम्मिलित है।

विवेचना :

इन्दौर जिले के स्थायी ग्रामीण बाजार केन्द्रों के निर्धारण हेतु सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण सेवा केन्द्रो का निर्धारण किया गया है। इन्दौर जिलें के ग्रामीण सेवा केन्द्रों के निर्धारण हेतु 1000 ये अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। इनमें शोधार्थी द्वारा चयनित 5 सेवा समूहों की 26 सेवाओं में से किसी भी 3 सेवा समूह की कोई तीन सेवाओं की उपलब्धता अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण सेवा केन्द्रों के निर्धारण का आधार है। इस प्रकार कुल 234 ग्रामीण बस्तियाँ आंकलित हुई है।

प्रस्तुत अध्ययन में पाँच सेवा समूह के अंतर्गत कुल 26 सेवओं के आधार पर प्रत्येक सेवा के लिए क्षेत्र में उनके सापेक्षिक महत्व के आधार पर उन्हें अंकमान प्रदान किया गया है। सापेक्षिक महत्व का तात्पर्य यह है कि एक ऊँचे स्तर का कार्य अधिक अंकमान और निम्न स्तर का कार्य कम अंकमान प्राप्त करेगा। इस विधि द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि किसी

सेवा केन्द्र में जैसे–जैसे वहाँ उपलब्ध कार्यो या सेवाओं का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे–वैसे वह सेवा कम बस्तियों में मिलती है। अर्थात् उसकी आवृत्ति कम होती जाती है। इससे उस सेवा

तालिका क्रमांक 2 : इन्दोर जिले के स्थाई ग्रामीण बाजार केन्द्रों के आर्दश सेवा क्षेत्र

क्रम संख्या	ग्रामीण बाजार केन्द्र	सेवा केन्द्र का आर्दश सेवा क्षेत्र (वर्ग कि.मी)
1	कोदरिया	46.98
2	दतोदा	42.04
3	हरसोला	35.89
4	गवली पलासिया	34.93
5	सिमरोल	33.55
6	रगवासा	30.66
7	कंपेल	30.54
8	तिल्लोर खुर्द	26.55
9	पिवडाय	23.71
10	बुधनिया पंथ	22.85
11	कैलोद कर्त्ताल	22.75
12	भिचौली हप्सी	22.07
13	भगोरा	21.95
14	कनाड़िया	21.89
15	डकाच्या	21.6
16	धुधिया	20.83
17	अजनोद	19.83
18	बुढ़ी बरलाई	19.35
19	भिचौली मर्दाना	17.42
20	पालिय हैदर	17.22
21	हासलपुर	17.16
22	बरलाई जागीर	15.95
23	जामली	15.21
24	खुडैल बुजुर्ग	15.03
25	अताहेडा	14.43
26	मॉचल	13.96
27	रालामण्डल	13.17
28	आँबाचंदन	13
29	पेडमी	12.86
30	पिगडम्बर	12.17
31	चोरल	12
32	गुरन	11.31
33	रंगवासा	10.32
34	डोंगरगाँव	9.34
35	बड़गोदा	8.85
36	यशवंत नगर	8.66
37	सालसिंद्रा	8.53
38	सेमल्या चाऊ	7.53
39	आगर	7.17
40	मेथवाड़ा	6.71

विशेष का आकर्षण बढ़ता है। अन्य शब्दों में यदि कोई सेवा निम्न स्तर की है, तो वह सेवा अधिकांश बस्तियों में आसानी से उपलब्ध होगी। वर्तमान अध्ययन में सम्मिलित सेवाओं तथा प्रत्येक सेवा को प्राप्त अंकमान को सारणी 1 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार विभिन्न कार्यो को अंकमान प्रदान कर प्रत्येक केन्द्र का केन्द्रीयता सूचकांक ज्ञात किया गया। तत्पश्चात् सभी 234 ग्रामीण सेवा केन्द्रों के केन्द्रीयता सूचकांक को चतुर्थक के आधार पर चार वर्गो में विभक्त किया गया है। इस आधार पर जो सेवा केन्द्र तृतीय चतुर्थक मूल्य (42) से अधिक केन्द्रीयता सूचकांक मूल्य रखते है, उन्हें स्थाई बाजार केन्द्र मानकर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार इन्दौर जिले की चारों तहसीलों के कुल 40 ग्रामीण सेवा केन्द्र, बाजार केन्द्र के रूप मे चिन्हित हुए है।

स्थायी ग्रामीण बाजार केन्द्रो के आदर्श सेवा क्षेत्र का निर्धारण :

निष्कर्ष :

(1) तालिका क्रमांक 2 से यह विदित हो रहा है कि अध्ययन क्षेत्र में कुल 40 स्थायी ग्रामीण बाजार केन्द्र अन्वेषित हुए हैं।

(2) इसके अनुसार महू तहसील में स्थित कोदरिया ग्रामीण बाजार केन्द्र प्रथम कोटि क्रम पर आता है, जिसका आदर्श सेवा क्षेत्र 46.98 कि.मी^{2} अन्वेषित हुआ है।

(3) सबसे निम्न क्रम पर देपालपुर तहसील का मेथवाड़ा ग्रामीण बाजार केन्द्र का स्थान है जिसका आदर्श सेवा क्षेत्र 6.7 कि.मी^{2} आकलित हुआ है।

(4) समग्र रूप से सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण बाजार केन्द्रों का औसत आदर्श सेवा क्षेत्र 19.15 कि.मी^{2} अन्वेषित हुआ है।

(5) सभी 40 ग्रामीण बाजार केन्द्रों से आदर्श सेवा क्षेत्रों की औसत मूल्य से तुलना करने पर ज्ञात हुआ है कि इन्दौर जिले के 18 ग्रामीण बाजार केन्द्र औसत आदर्श सेवा क्षेत्र 19.15 कि.मी^{2} से अधिक विस्तृत क्षेत्रों को अपनी बाजार सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

(6) जबकि शेष 22 ग्रामीण बाजार केन्द्र, जिले के औसत मान से कम क्षेत्र को अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

संदर्भ :

(1) श्रीवास्तव, वी.के. एवं दीक्षित, रामस्वरूप (1996) : ''विपणन भूगोल'' हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

(2) *Prakashrao, V.L.S. (1958) : "Towns of Mysore State" Asia Publishing House, Bombay.*

(3) *Senger, I.P.S. (1991) : "Geographical Study of Unnao City" An unpublished thesis in Kanpur University.*

❁❁